from oil-seeds, manufacture of gur, khandsari, fruit processing and preservation. The KVIC Act has now been amended to cover any type of industries located in rural areas having a population of less than 10,000 with per capita fixed investment upto Rs. 15,000. After the amendment to the KVIC Act, the Commission has drawn up a phased programme for promotion of new industries in addition to the existing scheduled industries. During 1988-89, 34 new industries including agro-based and food industries included within the purview of KVIC have been identified for which model schemes and pattern of financial assistance are being framed. With this, rural industries including food processing industries covered within the purview of KVIC are expected to receive an impetus.

Shortage of pig iron

347. SHRI A. G. KULKARNI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the foundry industry in the country is suffering from acute scarcity of pig iron, resulting in the large scale imports thereof; if so, what are the reasons therefor;

(b) whether removal of pig iron from OGL and its canalisation through MMTC has contributed to worsening of the situation;

(c) if so, what remedial action has been taken by Government in this regard; and

(d) what steps have been taken by Government to achieve self-sufficiency in the production of pig iron?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STEEL IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Government has received representations from the foundry industry and others complaining about inadequate supplies and shortage of pig iron as domestic production is not sufficient to meet the entire demand.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Availability of Pig iron depends on the production of hot metal to meet the requirements of crude steel production in the steel plants. Steel Authority of India Limited plans to increase its production of pig iron in 1988-89 over the production level during 1987-88. Besides, the availability of pig iron is expected to improve with the commissioning of Visakhapatnam Steel Plant.

वन उपजों के समर्थन मूल्य

348. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी व्यक्तियों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिये उनको वन उपजों जैसे महुआ, चिरोंजी, गोंद, इमली, आंवला, हरी, बहेरा आदि के समर्थन मूल्य उसी प्रकार निश्चित करने का विचार रखती है जैसा कि कई कृषि उपजों के मामलों में किया जाता है ,

(ख) यदि नहीं, तो सरकार आदिवासी व्यक्तियों को व्यापारी और बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जो सहकारी समितियां इन क्षेत्रों में बनाई गयी हैं वे इन वन उपजों को खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार शोषण को रोकने के लिये इन उपजों की सीधी खरीद करने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) जानकारी

एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

349. [*Transferred to the 4th August, 1988*]

मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पीने के पानी की पूर्ति

350. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में दूर दराज के एक ही गांव के उप-ग्रामों में जैसे तोला, माजरा, द्वारा इत्यादि, छोटे-छोटे समूहों में रह रहे आदिवासी व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक को एक इकाई मान कर उन्हें कम से कम एक स्वस्थय पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों के ऐसे उप-ग्रामों की संख्या कितनी है जिनका पता लगा लिया गया है और उन में से ऐसे उपग्रामों की संख्या कितनी है जहां कम से कम एक स्वस्थ पेयजल स्रोत उपलब्ध करा दिया गया है ;

(ग) बाकी बचे उपग्रामों में पेयजल के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कब तक कर दिए जाने की संभावना है , और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नहीं है, तो सरकार ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देशिकाओं में एक समस्याग्रस्त गांव (राजस्व गांव) में प्रत्येक 250–300 लोगों की जनसंख्या के लिए एक स्रोत (हेण्ड पम्प अथवा स्टैण्ड पोस्ट ट्यूबवैल सहित) के लिए व्यवस्था है । तोला, माजरा, पारा आदि जैसे उपगांवों में छोटे-छोटे समूहों में रह रहे आदिवासियों जो राजस्व गांव का अंग हैं, को भी प्रत्येक 250–300 लोगों के लिए एक स्रोत के उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं । पम्पों की संख्या और इसके स्थान के बारे में निर्णय करते समय, ऐसी छोटी बसावटों सहित गांव की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था की निगरानी केवल चयन किए गए समस्याग्रस्त गांवों के लिए ही की जा रही है । आदिवासी गांवों के उप-गांवों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर अलग से कोई निगरानी नहीं की जा रही है, क्योंकि वे राजस्व गांवों के अंग हैं ।

(ग) उप-गांवों जोकि राजस्व गांवों के अंग हैं, सहित शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं योजना के अंत तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of AIR/TV Centres at Patiala

351. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have considered the desirability of establishing Radio Stations/T.V. Centres at the headquarters of Zonal Cultural Centres in the country; and

(b) if so, by when Patiala in Punjab would be provided with these facilities?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir. This is one of the aspects kept in view